UPRN120003072015

न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)भोगनीपुर/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात

मुकदमा सं०–312/2015

सरकार बनाम संतोष आदि।

<u>आरोप</u>

मैं कृपा शंकर सिविल जज(जू०डि०)भोगनीपुर/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात में आप अभियुक्तगण संतोष, केशकली, ठाकुर लाल व रामबाबू को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ–

यह कि दिनांक 07/06/2013, समय 06:00 बजे शाम, घटना स्थल मकान वादी बहद ग्राम सुखसौरा थाना भोगनीपुर, जिला कानपुर देहात में आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा, पप्पू एवं मुनीमचन्द्र के साथ मारपीट कर उपहति कारित की इस प्रकार आप अभियुक्तगण के द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 323 भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

यह कि उपरोक्त दिनांक, समय, घटना स्थल, थाना, जिला कानपुर देहात में आप अभियुक्तगण ने उपरोक्त वादी मुकदमा पर हमला की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण के द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 452 भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

यह कि उपरोक्त दिनांक, समय, घटना स्थल, थाना, जिला कानपुर देहात में आप अभियुक्तगण ने उपरोक्त वादी मुकदमा, पप्पू एवं मुनीमचन्द्र को मारपीट कर गम्भीर किस्म की उपहति कारित की इस प्रकार आप अभियुक्तगण के द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 325 भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

यह कि उपरोक्त दिनांक, समय, घटना स्थल, थाना, जिला कानपुर देहात में आप अभियुक्तगण ने उपरोक्त वादी मुकदमा, पप्पू एवं मुनीमचन्द्र को गाली गलौज कर अपमानित किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण के द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 504 भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

यह कि उपरोक्त दिनांक, समय, घटना स्थल, थाना, जिला कानपुर देहात में आप अभियुक्तगण ने उपरोक्त वादी मुकदमा, पप्पू एवं मुनीमचन्द्र को जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार आप अभियुक्तगण के द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 506 भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद द्वारा आप अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

कृपा शंकर

दिनांक 28.03.2022 सिविल जज(जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट

भोगनीपुर, कानपुर देहात

ID NO.UP02625

उक्त आरोप को अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवम समझाया गया। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोप से इन्कार किया एवम परीक्षण की मांग की।

कृपा शंकर

दिनांक 28.03.2022 सिविल जज(जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट

भोगनीपुर, कानपुर देहात

ID NO.UP02625